न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 40 / 2020 **दायर दिनांकः 02 / 03 / 2020**

उनवान

1. मंजू बाई आयु 34 वर्ष पत्नि मुकेश जाति मीणा निवासी मूण्ड़ला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादिया

बनाम

1. रामसिंह आयु 44 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बैरपुर तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी कमला उद्यान कुन्हाड़ी कोटा जिला कोटा (राज0)
2. रामचन्द्र आयु 46 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा
3. रामलाल आयु 48 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासीगण बैरपुर पो0 मूण्ड़ला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. रामदयाल आयु 65 वर्ष दत्तक पुत्र मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा
5. पुष्पा आयु 62 वर्ष पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण छजावा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. गायत्री बाई आयु 45 वर्ष पत्नि रामस्वरूप जाति मीणा निवासी रकसपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
7. शाखा प्रबन्धक महोदय सी0बी0आई0 बैंक शाखा अटरू तह0 अटरू
8. यूनियन बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा बारां जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः—विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा।

निर्णय दिनाकः 30/05/2022

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89,188 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 305 का ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0न0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में से वादिया ने प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह का हिस्सा 1/18 की आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20/11/2015 को क्रय की थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 एवं रजिस्टर्ड बैनामा की प्रति साथ में संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं।वक्त खरीद उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने कृषि आराजी पर ट्रेक्टर का ऋण ले रखा था। रजिस्टर्ड बैनामा के समय प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने आश्वासन दिया था कि फसल आने पर उसको बेचकर आराजी को रहन मुक्त करवा लेंगे आप तो रजिस्ट्री करवा लो रहन ऋण चुकाने की जिम्मेदारी हमारी हैं। वादिया व उसके पति ने प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह से गत 2 वर्ष में आराजी को रहन मुक्त करवाने के लिए कई बार निवेदन किया। तब हर बार प्रतिवादी क्रम 1 कहता कि जमीन पर तुम्हें कब्जा दे दिया हैं खेती तुम आराम से कर रहे हो। हम तीनों भाईयों की व्यवस्था बैठने पर रहन की राशि जमा करवा देंगे। वक्त खरीद से वादिया खरीदशुदा आराजी पर लगातार शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही हैं। इसलिए वादिया खाता संख्या 305 के कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में से खरीदशुदा आराजी के हिस्सा 1/18 पर खातेदार कृषक घोषित होने की अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। वादिया अन्य सहखातेदारान प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 6 से कोई अनुतोष नहीं चाहती हैं उन्हें केवल फोरमल पक्षकार बनाया गया हैं। इसलिए वादिया प्रतिवादी क्रम 4 ता 6 की तामिल नहीं करवाना चाहती हैं। सहखातेदार कंचन बाई बड़ी व कंचन बाई छोटी की मृत्यु हो चुकी हैं तथा उनके वारिसान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं इसलिए कंचन बाई बड़ी व कंचन बाई छोटी को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। रामदयाल जगन्नाथ का लड़का हैं। स्व0 मोतीलाल के पुत्र नहीं होने के कारण मोतीलाल जी ने उनके जीवनकाल में रामदयाल को दत्तक पुत्र बनाया था। इसलिए केवल रामदयाल को एक बार पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को प्रतिवादी क्रम 7 सी0बी0आई0 बैंक शाखा अटरू से लिये गये ऋण की अदायगी के लिए आदेश दिया जावें ताकि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के हिस्से की आराजी रहन मुक्त हो जावें जिससे रहन का नोट वादिया के हिस्से की आराजी पर अंकित नहीं होगा। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे

अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं। अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर से प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बेदखल कर दिया या आराजी को बेचान कर दिया तो वादिया को अपने कब्जे काश्त की खरीदशुदा आराजी से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। अस्तु वादिया को जरिये रजिस्टर्ड बेनामा खरीद की गई ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0न0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में से प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह के हिस्सा 1/18 की आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादिया का नाम दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादिया को वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित उक्त आराजी पर से जबरन बेदखल नहीं करें तथा आराजी को रहन–बेचान नहीं करें तथा वह वादिया को उसके द्वारा खरीदशुदा उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बेनामा आराजी का पंजीयन करवाने पर तथा उसके रहन की राशि जमा नहीं करने पर एवं अंतिम बार दिनांक 29/08/2019 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा वादिया को आराजी पर से बेदखल करने एवं बेचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 9 बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। विवादग्रस्त आराजी ग्राम छजावा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादिया विनयी है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :–

(अ) यह कि वादिया को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम छजावा के खाता संख्या 305 का ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0न0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में से प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह के हिस्सा 1/18 की खरीदशुदा आराजी पर खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 9 को प्रदान करें।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को प्रतिवादी क्रम 7 सी0बी0आई0 बैंक शाखा अटरू से लिये गये ऋण की अदायगी के लिए आदेश दिया जावें ताकि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के हिस्से की आराजी रहन मुक्त हो जावें तथा रहन का नोट वादिया के हिस्से की आराजी पर अंकित नहीं करें।

(स) यह कि प्रतिवादीगण को इस आशय की जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादिया को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल नहीं करें और न ही आराजी को रहन, बेचान, हस्तानतरण करें तथा वादिया को उक्त वर्णित आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(द) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीया को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 एवं 8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 9 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया । प्रतिवादी क्रम 7 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में ग्राम एवं माल छजावा तह. अटरू जिला बारां में भूमि स्थित होना स्वीकार है, शेष विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित तथ्य बैंक से ट्रेक्टर ऋण लिया जाना स्वीकार है शेष विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 जानकारी

के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 में वर्णित तथ्य प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा प्रतिवादी क्रम 7 की बैंक सी.बी.आई. शाखा अटरू से ट्रेक्टर ऋण लिया जाना स्वीकार है। शेष विवरण जिस प्रकार लिखा गया है, अस्वीकार है। चूंकि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा प्रतिवादी क्रम 7 की बैंक सीबीआई. शाखा अटरू से ट्रेक्टर ऋण ले रखा है। इसलिए जब तक बैंक का समस्त ऋण मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक पक्षकारान माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 6 जिस प्रकार लिखी गयी है अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 11 कानूनी है। वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है।

विशेष कथन

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा प्रतिवादी क्रम 7 की बैंक सी.बी.आई. शाखा अटरू से ट्रेक्टर ऋण ले रखा है, इसलिए जब तक बैंक का समस्त ऋण मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक पक्षकारान माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब तक प्रतिवादी क्रम 7 की बैंक सीबीआई शाखा अटरू का ऋण मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक पक्षकारान को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान नहीं किये जाने की कृपा करें।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 3 के शपथ पत्र पेश किये गये। pw 1 मंजू बाई पत्नि मुकेश जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां द्वारा शपथ पत्र पेश किया तथा शपथ गवाह लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने बताया कि ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 305 का ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0न0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में से मैंने ने प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह का हिस्सा 1/18 की आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20/11/2015 को खरीद की थी, वक्त खरीद उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने कृषि आराजी पर ट्रेक्टर का ऋण ले रखा था । रजिस्टर्ड बेनामा करवाते समय प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने मुझे आश्वासन दिया था कि फसल आने पर उसको बेचकर आराजी को रहन मुक्त करवा लेंगें आप तो रजिस्ट्री करवा लो, रहन ऋण चुकाने की जिम्मेदारी हमारी है। वादिया व उसके पति ने प्रतिवादी क्रम 1

रामसिंह से गत 3 वर्ष में आराजी को रहन मुक्त करवाने के लिए कई बार निवेदन किया तब हर बार प्रतिवादी क्रम 1 कहता कि जमीन पर तुम्हे कब्जा दे दिया है, खेती तुम आराम से कर रहे हो, हम तीनों भाईयों की व्यवस्था बैठने पर रहन राशि जमा करवा देगें। वक्त खरीद से मैं खरीद शुदा आराजी पर लगातार शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही हूॅ इसलिए खाता संख्या 305 का कुल किता 2 का कुल रकबा 15.32 है0 में से खरीद शुदा आराजी हिस्सा 1/18 पर मुझे खातेदार कृषक घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मेरा नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह मुझे मेरे द्वार खरीदशुदा आराजी पर से जबरन बेदखल नहीं करें तथा आराजी को रहन, बेचान नहीं करें तथा मुझे खरीदशुदा आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

pw 2 मुकेश पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती द्वारा शपथ पत्र पेश किया तथा शपथ गवाह लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी द्वारा बताया कि ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 305 का ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0न0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में से मैंने ने प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह का हिस्सा 1/18 की आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20/11/2015 को खरीद की थी, वक्त खरीद उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने कृषि आराजी पर ट्रेक्टर का ऋण ले रखा था। रजिस्टर्ड बेनामा करवाते समय प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने मुझे व मेरी पत्नि को आश्वासन दिया था कि फसल आने पर उसको बेचकर आराजी को रहन मुक्त करवा लेंगें आप तो रजिस्ट्री करवा लो, रहन ऋण चुकाने की जिम्मेदारी हमारी है। रजिस्ट्री मे मैं गवाह हूं। वादिया व उसके पति ने प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह से गत 3 वर्ष में आराजी को रहन मुक्त करवाने के लिए कई बार निवेदन किया तब हर बार प्रतिवादी क्रम 1 कहता कि जमीन पर तुम्हे कब्जा दे दिया है, खेती तुम आराम से कर रहे हो, हम तीनों भाईयों की व्यवस्था बैठने पर रहन राशि जमा करवा देगें। वक्त खरीद से मैं खरीद शुदा आराजी पर लगातार शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही हूॅ इसलिए खाता संख्या 305 का कुल किता 2 का कुल रकबा 15.32 है0 में से खरीद शुदा आराजी हिस्सा 1/18 पर मेरी पत्नि को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

pw 3 लोकेश पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती द्वारा शपथ पत्र पेश किया तथा शपथ गवाह लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी द्वारा बताया कि ग्राम एवं माल छजावा

तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 305 का ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0न0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में से मैंने ने प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह का हिस्सा 1/18 की आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20/11/2015 को खरीद की थी, वक्त खरीद उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने कृषि आराजी पर ट्रेक्टर का ऋण ले रखा था। रजिस्टर्ड बेनामा करवाते समय प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने वादिया को आश्वासन दिया था कि फसल आने पर उसको बेचकर आराजी को रहन मुक्त करवा लेंगें आप तो रजिस्ट्री करवा लो, रहन ऋण चुकाने की जिम्मेदारी हमारी है। रजिस्ट्री मे मैं गवाह हूं। वादिया व उसके पति ने प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह से गत 3 वर्ष में आराजी को रहन मुक्त करवाने के लिए कई बार निवेदन किया तब हर बार प्रतिवादी क्रम 1 कहता कि जमीन पर तुम्हे कब्जा दे दिया है, खेती तुम आराम से कर रहे हो, हम तीनों भाईयों की व्यवस्था बैठने पर रहन राशि जमा करवा देगें। वक्त खरीद से मैं खरीद शुदा आराजी पर लगातार शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही हूॅ इसलिए खाता संख्या 305 का कुल किता 2 का कुल रकबा 15.32 है0 में से खरीद शुदा आराजी हिस्सा 1/18 पर वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

4. अभिभाषकगण की बहस सुनी। अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम छजावा के खाता संख्या 305 का ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0न0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में से प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह के हिस्सा 1/18 की खरीदशुदा आराजी पर वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। बहस के दौरान तर्क किया कि वादिया ने उक्त आराजी को अभिलिखित खातेदार/विक्रेता प्रतिवादी क्रम 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है अतः वादिया उक्त आराजी की बोनाफाइड क्रेता है और बोनाफाइड क्रेता को उसके हक व अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी क्रम 7 सेट्रंल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अधीन दिये जाने वाला कृषि ऋण एक सीजन (खरीफ/रबी) के लिये अर्थात 6 माह के लिये दिया जाता है। सीजन समाप्त होने के बाद प्रतिवादी क्रम 7 को उक्त कृषि ऋण को रिन्यू करना होता है। रिन्यू करने से पूर्व भूमि के टाइटल, कब्जा इत्यादि की जांच किया जाना अनिवार्य है। प्रतिवादी क्रम 7 कृषि ऋण स्वीकृत

करने से पूर्व उक्त जांच के चार्जेज प्रति 6 माह में ऋणधारक काश्तकार से वसूल करता है। अतः स्पष्ट है कि जब वादिया ने प्रतिवादी क्रम 1 से दिनांक 20.11.2015 को उक्त विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिया था तो प्रतिवादी क्रम 7 को अगले खरीफ सीजन के लिये प्रतिवादी क्रम 1 कृषि ऋण रिन्यू नहीं किया जाना चाहिये था लेकिन प्रतिवादी क्रम 7 ने नियमों की अवहेलना कर विवादित आराजी का 1/18 भाग का टाइटल/स्वामी एवं कब्जा वादिया के पक्ष में होते हुये भी केवल जमाबंदी के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 को कृषि ऋण प्रदान कर दिया। प्रतिवादी क्रम 7 का यह कृत्य विधि विरूद्ध है। जिसके लिये वादिया को उसके हक व अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अभिभाषक वादिया द्वारा पुनः तर्क किया कि प्रतिवादी क्रम 9 तहसीलदार अटरू द्वारा विवादित आराजी के रहन दर्ज होने के बावजूद भी विक्रय पत्र को रजिस्टर्ड कर दिया और बाद में वादिया के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी क्रम 9 का यह कृत्य गैर कानूनी है।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 7 द्वारा अभिभाषक वादी की बहस का कोई विरोध नहीं किया।

5. उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन और मनन किया। जमाबन्दी संवत 2074 –2077 ग्राम छजावा के खाता संख्या 305 ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0न0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 आराजी में से वादिया ने 1/18 भाग रजिस्टर्डड विक्रय पत्र (प्रदर्श 2ए) एस.आर. नं. 2015002610 दिनांक 20.11.2015 को क्रय की गई थी। जो विक्रय विलेख से स्पष्ट है परन्तु उक्त भूमि सीबीआई बैंक अटरू के रहन दर्ज होने के कारण वादिया के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका। प्रतिवादी क्रम 7 द्वारा उक्त भूमि के दिनांक 20.11.2015 को बैचान हो जाने के बाद अप्रैल 2016 में अगले खरीफ सीजन हेतु प्रतिवादी क्रम 1 कृषि ऋण स्वीकृत से पूर्व रहन दर्ज की जाने वाली आराजी के स्वामित्व, कब्जा, रहन इत्यादि की नियमानुसार जांच की जानी चाहिये थी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी क्रम 7 द्वारा बिना जांच व कानूनी राय के प्रतिवादी क्रम 1 को कृषि ऋण स्वीकृत कर दिया था जबकि 20 नवम्बर 2015 से उक्त भूमि का स्वामित्व व कब्जा काश्त वादिया के पास है। प्रतिवादी क्रम 9 तहसीलदार द्वारा भी नियमों को दरकिनार कर प्रतिवादी क्रम 7 के पक्ष में रहन दर्ज उक्त आराजी का पंजीयन कर दिया। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा विवादित आराजी का बैचान किये जाने के बावजूद भी उक्त भूमि पर लिये गये कृषि ऋण का भुगतान नहीं करना

प्रथक दृष्ट्या धोखाधडी को व्यक्त करता है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह प्रतिवादी क्रम 7 से लिये गये कृषि ऋण का शीघ्र भुगतान करे। अतः प्रतिवादी क्रम 7 व 9 की गलती की सजा वादिया को नहीं दी जा सकती।

अतः मुख्य अनुतोष के रूप में रजिस्टर्डड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी के 1/18 भाग पर वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जाना एवं अनुषांगिक अनुतोष के रूप में प्रतिवादी क्रम 1 को संपूर्ण कृषि ऋण का प्रतिवादी क्रम 7 को नियमानुसार भुगतान करने का आदेश दिया जाना उचित होगा।

अतः न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छजावा के खाता संख्या 305 ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0नं0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा के हिस्से 5/54 का 3/5 अर्थात कुल भूमि का हिस्सा 1/18 भाग पर रजिस्टर्डड विक्रय पत्र (प्रदर्श 2ए) एस.आर. नं. 2015002610 दिनांक 20.11.2015 के आधार पर वादिया मंजू बाई पत्नि मुकेश जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। सी.बी.आई. बैंक का संपूर्ण रहन प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह पुत्र प्रभुलाल के शेष बचे हिस्से पर दर्ज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह नियमानुसार प्रतिवादी क्रम 7 से लिये संपूर्ण कृषि ऋण का समय पर भुगतान करे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 40/2020

उनवान

1. मंजू बाई आयु 34 वर्ष पत्नि मुकेश जाति मीणा निवासी मूण्ड़ला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादिया

बनाम

1. रामसिंह आयु 44 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बैरपुर तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी कमला उद्यान कुन्हाड़ी कोटा जिला कोटा (राज0)
2. रामचन्द्र आयु 46 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा
3. रामलाल आयु 48 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासीगण बैरपुर पो0 मूण्ड़ला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. रामदयाल आयु 65 वर्ष दत्तक पुत्र मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा
5. पुष्पा आयु 62 वर्ष पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण छजावा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. गायत्री बाई आयु 45 वर्ष पत्नि रामस्वरूप जाति मीणा निवासी रकसपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
7. शाखा प्रबन्धक महोदय सी0बी0आई0 बैंक शाखा अटरू तह0 अटरू
8. यूनियन बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा बारां जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः–विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा।

मिनजानित मुदई रूबरू .....र.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम छजावा के खाता संख्या 305 ख0न0 229 का रकबा 1.28 है0, ख0नं0 1516/237 का रकबा 14.04 है0 कुल किता 2 का रकबा 15.32 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा के हिस्से 5/54 का 3/5 अर्थात कुल भूमि का हिस्सा 1/18 भाग पर रजिस्टर्डड विक्रय पत्र (प्रदर्श 2ए) एस.आर. नं. 2015002610 दिनांक 20.11.2015 के आधार पर वादिया मंजू बाई पत्नि मुकेश जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। सी.बी.आई. बैंक का संपूर्ण रहन प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह पुत्र प्रभुलाल के शेष बचे हिस्से पर दर्ज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 रामसिंह नियमानुसार प्रतिवादी क्रम 7 से लिये संपूर्ण कृषि ऋण का समय पर भुगतान करे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....रु..... मुबालिक .....रु..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....रु..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....रु..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.05.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)